UPBB010028802014

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय सं० 04, बाराबंकी ।
पीठासीन अधिकारी–: परशुराम, (H.J.S.) J.O. Code No. UP 6451
सत्र वाद संख्या–213 / 2014

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष

बनाम

मो० अली पुत्र सत्तार, निवासी बंकी, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी ।

.....अभियुक्त

अपराध संख्या–NIL/2014
धारा-413, 414, 177 भा०दं०सं०
थाना– जी०आर०पी०, बाराबंकी ।

निर्णय

1. अभियुक्त राजू पठान के विरुद्ध थाना–जी०आर०पी०, जिला–बाराबंकी की पुलिस द्वारा अपराध संख्या-NIL / 2014 में धारा- 41, 413, 414, 177 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत तथा अभियुक्तगण पप्पू, आलम व मो० अली के विरूद्ध अपराध संख्या-NIL / 2014 में धारा- 41, 413, 414 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत, थाना–जी०आर०पी०, जिला–बाराबंकी के तहत आरोप–पत्र विचारण कर दण्डित करने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । प्रश्नगत मामले में अभियुक्त राजू पठान के अनुपस्थित रहने के कारण उसकी पत्रावली आदेश पत्र दिनांकित-11-01-2018 तथा अभियुक्त मो० पप्पू पुत्र मुजाहिद के अनुपस्थित रहने के कारण उसकी पत्रावली आदेश पत्र दिनांकित-07-10-2025 तथा अभियुक्त मो० आलम के अनुपस्थित रहने के कारण उसकी पत्रावली आदेश पत्र दिनांकित-10-03-2026 के द्वारा पृथक की जा चुकी है । अतएव प्रस्तुत मामले में मात्र अभियुक्त मो० अली का विचारण किया जा रहा है ।

2. संक्षेप मे अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी / प्रभारी निरीक्षक गिरजा शंकर त्रिपाठी, थाना जी०आर०पी०, बाराबंकी द्वारा दिनांक-22-04-2014 को समय 08:20 बजे थाना जी०आर०पी० बाराबंकी में दाखिल फर्द बरामदगी के आधार पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी कि दिनांक-21/2/2014 को मैं प्रभारी निरीक्षक गिरिजा त्रिपाठी मय हमराहिया हेड कांस्टेबिल शिव पूजन यादव, कांस्टेबिल राजेश कुमार तिवारी, कांस्टेबिल प्रवीण कुमार तिवारी, कांस्टेबिल बद्री प्रसाद यादव को हमराह लेकर रोक थाम जुर्म–जरायम एवं शांति व्यवस्था व तलाश संदेह व्यक्ति / वस्तु का करते हुए सर्कुलेटिंग एरिया से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुँचा कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि 3-4 व्यक्ति प्लेटफॉर्म नंबर-1 के पूर्वी छोर रेलवे अस्पताल के पास बने सीमेंट की बेंच पर

बैठे हैं जो आपस में मोबाइल बेचने की बात कर रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके उन्होने कांस्टेबिल अशोक कुमार सिंह को तत्काल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बुलाया और मुखबिर की सूचना पर आपस में वार्तालाप करके एक–दूसरे की जामा तलाशी ले देकर कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई वस्तु नहीं है, के पश्चात मुखबिर को साथ लेकर उसके बताए स्थान की तरफ चल दिए। मुखबिर दूर से इशारा करके पीछे मुड़कर चला गया। जनता के आने जाने वालों को साथ चलने को कहा गया तो कोई तैयार नहीं हुआ। हम लोग जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही हम लोगों को देखकर बेंच पर बैठे चारों व्यक्ति खड़े हो गये। हम लोग तेज कदमों से जैसे ही आगे बढ़े तो वे लोग सकपका कर भागने की कोशिश किये कि शक होने पर हमराहियान की मदद से चारों व्यक्तियों को वहीं पर समय करीब 5:35 बजे पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से बारी बारी से नाम, पता आदि पूछा गया । पकड़े गए व्यक्तियों राजू पठान, मोहम्मद पप्पू आलम तथा मुहम्मद अली से मोबाइल एवं रुपये बरामद किए गए । प्रस्तुत मामले से संबंधित अभियुक्त मो० अली पुत्र सत्तार की जमा तलाशी लिए जाने पर उसके पहले हुए पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद नोकिया मोबाइल माडल 1616 खोलकर देखा गया जिसमें सिम नहीं है, जिसका IMEI No.34587204129975/05 लिखा है । पूछने पर कि मोबाइल कहाँ मिला तो बताया कि काफी दिन पहले एक बिहारी व्यक्ति जिसका नाम बिकाऊ था। मैंने उसी से ₹300/- में रेलवे स्टेशन बंकी के बाहर खरीदा था। इस मोबाइल के बारे में थाने से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि मुकदमा अपराध संख्या-55/2012, धारा 379, 328 IPC से संबंधित है एवं जुमला (15) बरामद मोबाइल के बारे में थाने से पूछा गया तो बताया कि इस संबंध में थाने पर कोई मुकदमा नहीं है। जुमला (15) मोबाइलों को सफेद पॉलीथिन में रखकर उसी झोले में रखकर सर्वमोहर किया गया एवं विभिन्न मुकदमों से बरामद मोबाईल को अलग–अलग चिटबंदी कर सर्वमोहर कर रखा गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण एक गिरोह बनाकर अपना भौतिक, आर्थिक लाभ लेने के लिए चोरियां करते हैं। अभियुक्तगण को उनके द्वारा किए गए अपराधों से अवगत कराया गया तथा सहअभियुक्तगण् के साथ प्रस्तुत प्रकरण से सम्बंधित अभियुक्त मोहम्मद अली को समय करीब 5:35 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । दौरान गिरफ्तारी आने जाने वालों से गवाही के लिए कहा गया तो कोई तैयार नहीं हुआ । यात्रा का बहाना बनाकर चले गए । माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मानवाधिकार आयोग के नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई की गई । जरिए उचित माध्यम अभियुक्तगण के परिजनों को सूचना देने एवं बिजली/टार्च की रोशनी में हेड कांस्टेबिल विजय कुमार शर्मा से बोल बोलकर लिखाने का उल्लेख फर्द में करते हुए सभी के हस्ताक्षर बनवाए गए । अभियुक्तगण राजू पठान, पप्पू, आलम व मो० अली के विरूद्ध धारा- 41, 414 IPC के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी जिसका इन्द्राज कायमी जी०डी० में किया गया ।

3. अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त विवेचक द्वारा दौरान विवेचना घटनास्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी तैयार की गयी । साक्षियों के बयान अभिलिखित किये गये । दौरान विवेचना थाना जी०आर०पी०, बाराबंकी पर मुकदमा अपराध सं.NIL/2014 में बरामद 18 अदद मोबाइल, रू.3500/- चोरी सम्बंधी विभिन्न मुकदमें विभिन्न थानों में दर्ज होने के आधार पर सहअभियुक्तगण के साथ अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध अन्तर्गत धारा- 41, 413, 414 IPC के तहत आरोप–पत्र विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-25, बाराबंकी में प्रेषित किया गया । विवेचक द्वारा प्रस्तुत

किये गये आरोप पत्र व उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुक्रम में उपरोक्त अभियुक्त व सहअभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा मामले का प्रसंज्ञान लिया गया । अभियुक्तगण को नकले प्रदान की गयी । प्रश्नगत प्रकरण सत्र परीक्षणीय मामला होने के कारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या-25 बाराबंकी द्वारा पारित आदेश दिनांक-24-04-2014 के अनुक्रम में अभियुक्तगण राजू पठान, पप्पू, आलम व मो० अली के विरूद्ध प्रश्नगत मामले को सत्र सुपुर्द किया गया । तदुपरान्त माननीय सत्र न्यायालय, बाराबंकी द्वारा पारित आदेश के अनुक्रम में प्रश्नगत पत्रावली अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई ।

4. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-23-06-2014 के द्वारा अभियुक्तगण राजू पठान, पप्पू, आलम व मो० अली के विरुद्ध धारा-413, 414, 177 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया । अभियुक्तगण द्वारा अपने विरुद्ध लगाये गये आरोप से इन्कार किया गया और विचारण की माँग की गयी । उल्लेखनीय है कि सहअभियुक्तगण की पत्रावली पृथक होने के उपरान्त प्रश्नगत मामले में मात्र अभियुक्त मो० अली का विचारण किया जा रहा है ।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने केस को सिद्ध करने हेतु मौखिक साक्ष्य के रुप में PW-1 हेड कांस्टेबिल विजय कुमार शर्मा, PW-2 उपनिरीक्षक राजेश कुमार तिवारी, PW-3 निरीक्षक राजनाथ यादव व PW-4 क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है तथा प्रलेखीय साक्ष्य के रुप में अभियोजन पक्ष की ओर से फर्द बरामदगी प्रदर्श क-1, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2, मानचित्र बरामदगीस्थल प्रदर्श क-3, आरोप पत्र प्रदर्श क-4, गिरफ्तारी मेमों प्रदर्श क-5 व गिरफ्तारी की सूचना प्रदर्श क-6 आदि प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य साक्ष्य प्रस्तुत न करने का पृष्ठांकन करने के आधार पर अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया ।

6. अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त मो० अली का बयान धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभिलिखित किया गया । अभियुक्त ने सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया ।

7. मैने दौरान बहस विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी एवं अभियुक्तगण के तर्कों को सविस्तार से सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया ।

<u>निस्तारण आरोप अन्तर्गत धारा-413, 414 भारतीय दण्ड संहिता</u>

8. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी / प्रभारी निरीक्षक गिरजा शंकर त्रिपाठी दिनांक-21/2/2014 को मय हमराहिया हेड कांस्टेबिल शिव पूजन यादव, कांस्टेबिल राजेश कुमार तिवारी, कांस्टेबिल प्रवीण कुमार तिवारी, कांस्टेबिल बद्री प्रसाद यादव को हमराह लेकर रोक थाम जुर्म–जरायम एवं शांति व्यवस्था व तलाश संदेह व्यक्ति / वस्तु का करते हुए सर्कुलेटिंग एरिया से होते हुए प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर पहुँचे कि मुखबिर खास ने आकर बताया कि 3-4 व्यक्ति आपस में मोबाइल बेचने की बात कर रहे हैं। कांस्टेबिल अशोक कुमार सिंह को तत्काल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बुलाकर व मुखबिर की सूचना पर आपस में वार्तालाप करके एक–दूसरे की जमा तलाशी ले देकर कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई वस्तु नहीं है, के पश्चात मुखबिर को साथ लेकर उसके बताए स्थान की तरफ चल दिए तथा मुखबिर दूर से इशारा करके पीछे मुड़कर चला गया। जैसे ही वादी व सहयोगी पुलिस पार्टी

आगे बढ़ी वैसे ही पुलिस वालों को देखकर बेंच पर बैठे चारों व्यक्ति खड़े होकर तेज कदमों से आगे बढ़े और सकपका कर भागने की कोशिश किये कि शक होने पर हमराहियान की मदद से चारों व्यक्तियों को वहीं पर समय करीब 5:35 बजे पकड़ लिया गया। प्रस्तुत मामले से संबंधित अभियुक्त मो० अली पुत्र सत्तार की जमा तलाशी लिए जाने पर उसके पहले हुए पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद नोकिया मोबाइल माडल 1616 खोलकर देखा गया जिसमें सिम नहीं है, जिसका IMEI No.34587204129975/05 लिखा है । पूछने पर किया मोबाइल कहाँ मिला तो बताया कि काफी दिन पहले एक बिहारी व्यक्ति जिसका नाम बिकाऊ था। मैंने उसी से ₹300/- में रेलवे स्टेशन बंकी के बाहर खरीदा था। इस मोबाइल के बारे में थाने से जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि मुकदमा अपराध संख्या-55/2012, धारा 379, 328 IPC से संबंधित है एवं जुमला (15) बरामद मोबाइल के बारे में थाने से पूछा गया तो बताया कि इस संबंध में थाने पर कोई मुकदमा नहीं है। जुमला (15) मोबाइलों को सफेद पॉलीथिन में रखकर उसी झोले में रखकर सर्वमोहर किया गया एवं विभिन्न मुकदमों से बरामद मोबाईल को अलग–अलग चिटबंदी कर सर्वमोहर कर रखा गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण एक गिरोह बनाकर अपना भौतिक, आर्थिक लाभ लेने के लिए चोरियां करते हैं। अभियुक्तगण को उनके द्वारा किए गए अपराधों से अवगत कराया गया तथा सहअभियुक्तगण् के साथ प्रस्तुत प्रकरण से सम्बंधित अभियुक्त मोहम्मद अली को समय करीब 5:35 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । बिजली/टार्च की रोशनी में हेड कांस्टेबिल विजय कुमार शर्मा से बोल –बोल कर लिखाने का उल्लेख फर्द में करते हुए सभी के हस्ताक्षर बनवाए गए । फर्द के आधार पर प्रश्नगत मामले में थाना जी०आर०पी०, जिला बाराबंकी में प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या-NIL / 2014, धारा-41/411 IPC दिनांक-22-04-2014 को समय 08:20 बजे दर्ज की गयी । विवेचक द्वारा संकलित किये गये साक्ष्य के अनुक्रम में पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए प्रस्तुत मामले से सम्बंधित अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध धारा- धारा- 41, 413, 414 IPC के तहत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया । अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के अनुक्रम में अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध धारा- 413, 414, 177 भा.दं.सं. का आरोप विरचित किया गया जिसे साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष द्वारा PW-1 हेड कांस्टेबिल विजय कुमार शर्मा, PW-2 उपनिरीक्षक राजेश कुमार तिवारी, PW-3 निरीक्षक राजनाथ यादव व PW-4 क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी को परीक्षित कराया गया है ।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी PW-1 हेड कांस्टेबिल विजय कुमार शर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि माह फरवरी 2014 में मैं जीआरपी बाराबंकी में नियुक्त था। दिनांक-21-02-2014 को एस.एच.ओ. श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी के हमराह में मय पुलिस बल के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफ़ॉर्म नंबर –1 की चेकिंग में था। दौरान चेकिंग में मुखबिर की सूचना के आधार पर 18 मोबाइल, रू.3500/- नकदी, विभिन्न मुकदमे में अभियुक्त राजू पठान पुत्र मुशीर अली उर्फ आसिफ अली निवासी कजियारा , थाना कोतवाली नगर, सीतापुर, मोहम्मद पप्पू पुत्र मुजाहिद, निवासी मेहंदी टोला, थाना अलीगंज लखनऊ, आलम पुत्र मोहम्मद अयूब, निवासी सूरतगंज थाना मोहम्मदपुर खाला जिला बाराबंकी व मोहम्मद अली पुत्र सत्तार निवासी बंकी थाना कोतवाली नगर के साथ समय 5:35 पर सुबह पकड़ लिया गया था। उन्होंने बरामद माल विभिन्न स्थान ट्रेनों पर चोरी करना स्वीकार किया। मौके पर फर्द तैयार कर एस०एच०ओ० महोदय के निर्देशन में बनवाई गई ।

माल को मौके पर सर्वमुहर कर सर्वसम्बंधित के अलामात बनवाए गए । फर्द एस.एच.ओ. महोदय के अनुसार मैंने हस्तलेख में लिखा था। सर्व सम्बंधित को पढ़ कर सुनाया था। मुकदमा पंजीकृत कराया गया। माल को मालखाना में रखवाया गया एवं विधिनुसार अभियुक्तगण को हवालात में दाखिल किया गया। साक्षी ने शामिल पत्रावली फर्द को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया। साक्षी ने यह भी बताया कि अभियुक्तगण से बरामद कुल 18 मोबाइल जिनमें 3 मोबाइल अन्य मुकदमे से संबंधित थे तथा 15 मोबाइल सर्वमुहर हालत में न्यायालय के समक्ष नमूना मोहर से मिलान कर खोला गया जिन पर वस्तु प्रदर्श-1 लगायत वस्तु प्रदर्श- 15 डाला गया। साक्षी PW-2 उपनिरीक्षक राजेश कुमार तिवारी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि मैं दिनांक 21.2.14 को आरक्षी के पद पर जी.आर.पी. बाराबंकी में तैनात था। उस दिन तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक जी. आर. पी. गिरिजाशंकर त्रिपाठी के साथ मैं व कांस्टेबल शिवपूजन यादव, बद्री प्रसाद व प्रवीण के साथ गश्त करते हुए प्लेटफ़ॉर्म नंबर-1 पर पहुँचे । मुखबिर खास ने आकर बताया कि साहब प्लेटफ़ॉर्म नंबर -1 के पूर्वी छोर रेलवे अस्पताल के पास बेंच पर बैठे 3-4 लोग हैं और मोबाइल बेचने की बात कर रहे हैं तथा कोतवाल साहब द्वारा सिपाही विजय कुमार व अशोक को भी प्लेटफ़ॉर्म नंबर -1 पर बुला लिया मय मुखबिर उस स्थान की तरफ चले तभी मुखबिर ने दूर से इशारा किया कि वही वह लोग हैं और हट गया । गवाहों के लिए प्रयास किया लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ और जैसे ही आगे बढ़े तो बैठे चारों लोग खड़े हो गए कि हम फोर्स के लोगों ने समय 5:35 पर पकड़ लिया गया था। प्रभारी महोदय द्वारा एक-एक करके सभी लोगों से नाम पता पूछा वह जामा तलाशी ली। पकड़े गए अभियुक्तों में चौथे व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद अली पुत्र सत्तार निवासी बंकी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी बताया तलाशी पर एक नोकिया मोबाइल बरामद हुआ तथा यह भी बताया कि इसे काफी पहले बिकाऊ नाम के आदमी से रुपये 300 में खरीदा था। उसके बारे में भी थाने पर मुकदमा अपराध संख्या-55/12, धारा - 379, 328 आई.पी.सी. से संबंधित है । बरामद 15 मोबाइल के बारे में पता करने पर पता चला कि इन मोबाइल के बारे में मुकदमा दर्ज नहीं है। बरामद 15 मोबाइल नम्बरों को फर्द में लिखा गया और सभी का विवरण दर्ज किया गया। पकड़े गए चारों अभियुक्तों को उनके अपराध से अवगत कराते हुए कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय 5:35 पर हिरासत में दिया गया। गिरफ्तारी की फर्द गिरिजा शंकर त्रिपाठी द्वारा एक्स कांस्टेबल विजय कुमार शर्मा से बोल बोलकर लिखाई गई । जनता के गवाह आ जा रहे थे। कहा गया, कोई गवाही हेतु तैयार नहीं हुआ । फ़र्द लिखने के बाद उपस्थित पुलिस पार्टी व अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाने के बाद सभी के अलामत बनवाए गए। फर्द की एक कापी अभियुक्तगण को दी गई । फर्द प्रदर्श क-1 पत्रावली में संलग्न है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मौके से बरामद माल मुक़दमाती व अभियुक्तगण के साथ सभी लोग थाने आए। जहाँ प्रभारी महोदय द्वारा मुकदमा लिखाया गया । साक्षी PW-3 निरीक्षक राजनाथ यादव द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि दिनांक-22/2/2014 को मैं चौकी प्रभारी के पद पर थाना जी.आर.पी. बाराबंकी में कार्यरत था। थाने पर जो मुकदमा अपराध संख्या निल/14 धारा 41/411 IPC बनाम राजू पठान आदि पंजीकृत हुआ उसकी विवेचना मुझे सुपुर्द हुई। साक्षी ने दौरान विवेचना नकल चिक, नकल बयान लेखक एफआईआर एवं अभियुक्तगण राजू पठान, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद अली का बयान लेने, वादी प्रभारी निरीक्षक व कांस्टेबिलगण के बयान लेने तथा वादी की निशानदेही पर

घटनास्थल का निरीक्षण कर मानचित्र तैयार करने की पुष्टि करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा नजरी पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करते हुए उसे प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया । उसी दिन समयी साक्षी गणों का भी बयान लिया गया। एस.पी. जी.आर.पी. को बरामद मोबाइलों की डिटेल भेजी गई। साक्षी ने दौरान विवेचना सर्विलांस सेल लखनऊ के द्वारा मोबाइल के बारे में पतारसी व सुरागरसी कराते हुए दिनांक–21-04-2014 को साक्ष्य के आधार पर मुकदमे में धारा-413, 414 IPC की बढ़ोतरी की गई तथा उसी दिन पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप पत्र संख्या-13/14, धारा-41/413, 414, 177 IPC बनाम राजू पठान, मोहम्मद पप्पू, आलम, मोहम्मद अली प्रेषित किया गया। साक्षी ने आरोप पत्र पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करते हुए उसे प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया। चारेां अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास आरोप पत्र के पुष्ट पर अंकित है उसे भी साक्षी के द्वारा प्रमाणित किया गया । साक्षी PW-4 क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि दिनांक 21-2-14 में प्रभारी निरीक्षक जी.आर.पी. जनपद बाराबंकी में तैनात था। उस दिन अपने हमराह सिपाहियों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश हेतु जाँच करते हुए प्लेटफार्म संख्या एक पर पहुँचा। तभी मुखबिर द्वारा बताया गया कि प्लेटफार्म नंबर एक पर पूर्वी छोर पर चार लोग बेंच पर बैठे हैं और मोबाइल बेचने के चक्कर में हैं तभी जरिये हैंडसेट से हेड कांस्टेबल विजय शर्मा व सिपाही अशोक सिंह को बुलाकर वह भी प्लेटफार्म नंबर एक पर आगे हम पुलिस फोर्स के लोगों ने आपस में जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि हम लोगों के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। तत्पश्चात मय फोर्स उसके बताए हुए स्थान की तरफ चले और थोड़ी दूर चलने पर मुखबिर ने इशारा किया कि बेंच पर चारों लोग बैठे हैं। इसी बीच जनता के गवाहों को लेने का प्रयास किया गया तो कोई तैयार नहीं हुआ। जैसे ही हम लोग चारों व्यक्तियों के पास पहुँचे तो वह सकपका गये और भागने का प्रयास किये कि हम पुलिस के लोग, चारों लोगों को सुबह 5:35 बजे पकड़ लिया । पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पूछा व तलाशी ली गई तो पकड़े गये व्यक्तियों में चौथे व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद अली पुत्र सत्तार, निवासी बंकी थाना कोतवाली नगर बाराबंकी बताया। उसके कब्जे से एक नोकिया मोबाइल जिसे उसने बिकाऊ से रुपये 300 में खरीदना बताया। इस बावत थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 55/12 धारा 379, 328 IPC दर्ज है । पन्द्रह मोबाइलों के बारे में थाने से पूँछताछ किया तो इन मोबाइलों के संबंध में मुकदमा दर्ज नहीं है। तब मैंने अभियुक्तगण को उनके अपराध से अवगत कराते हुए समय 5 :35 पर दिनांक 22 -2-2014 को हिरासत में लिया। 15 मोबाइलों को अलग-अलग पॉलीथिन व अन्य मोबाइलों को अलग-अलग कपड़ों में रख कर, सिल कर, सर्वमुहर कर, नमूना मोहर तैयार किया । फर्द मेरे बोलने पर हेड कांस्टेबल विजय कुमार शर्मा द्वारा टार्च की रोशनी व बिजली की रोशनी में लिखी गई लिखने के बाद उपस्थित अभियुक्तगण व पुलिस पार्टीगण को पढ़कर सुनाया गया। सभी के अलामात बनवाये गए। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजनों को पहुँचाई गई । फर्द पत्रावली पर उपलब्ध है। उसके हस्ताक्षर हैं । मौके से बरामद माल मुकदमा मय अभियुक्तगण थाने आए । मुकदमा पंजीकृत कराया। अभियुक्तगण को दाखिल हवालात किया । माल मुकदमा दाखिल मालखाना किया। गिरफ्तारी मेमों भी मौके पर तैयार किया गया। साक्षी ने मौके पर तैयार किए गए गिरफ्तारी मेमो को प्रदर्श क-5 तथा गिरफ्तारी की सूचना के संबंध में तैयार किए गए प्रपत्र को प्रदर्श क-6 के रूप में साबित किया ।

10. उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त मो० अली पर आरोप लगाया गया है कि दिनांक-21.02.2014 समय करीब 5.35 बजे, प्लेटफार्म संख्या-01, रेलवे अस्पताल के पास सीमेन्ट की बेच, रेलवे स्टेशन, थाना जी०आर०पी०, जिला बाराबंकी में अभियुक्त मो० अली व उसके तीन अन्य साथियों राजू पठान, पप्पू व आलम के कब्जे से विभिन्न मुकदमों से संबंधित चोरी के मोबाइल जिनकी कुल संख्या-18 अदद थी, जिन्हें वे अभ्यासतः बेचने / व्यापार करने के लिए अपने कब्जे में रखें थे, बरामद हुये, जो कि चोरी के मोबाइल सेट थे जिनको व्ययनित करने में अभियुक्त मो० अली अपने साथियों के साथ मिलकर सहायता कर रहा था । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण PW-1 हेड कांस्टेबिल विजय कुमार शर्मा, PW-2 उपनिरीक्षक राजेश कुमार तिवारी, PW-3 निरीक्षक राजनाथ यादव व PW-4 क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी द्वारा दौरान मुख्य साक्ष्य अभियुक्त मो० अली व उसके सहअभियुक्तों के पास से प्रश्नगत मामले में चोरी के मोबाइल बरामद होने सम्बंधी कथनों के सम्बंध में फर्द बरामदगी को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया गया है । इसके अतिरिक्त नक्शा नजरी प्रदर्श क-3 व आरोप पत्र प्रदर्श क-4 को साक्षी PW-3 निरीक्षक राजनाथ यादव द्वारा तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी के सम्बंध में तैयार किया गया गिरफ्तारी मेमों प्रदर्श क-5 व सूचना गिरफ्तारी प्रदर्श क-6 को साक्षी PW-4 क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी ने अपने द्वारा दी गयी साक्ष्य के माध्यम से साबित किया है । फर्द में अंकित तथ्य से स्पष्ट है कि दिनांक-21.02.2014 समय करीब 5.35 बजे, प्लेटफार्म संख्या-01, रेलवे अस्पताल के पास सीमेन्ट की बेच, रेलवे स्टेशन, थाना जी०आर०पी०, जिला बाराबंकी में अभियुक्त मो० अली व उसके तीन अन्य साथियों राजू पठान, पप्पू व आलम के कब्जे से विभिन्न मुकदमों से संबंधित चोरी के मोबाइल जिनकी कुल संख्या-18 अदद थी बरामद किया गया, जिन्हें वे अभ्यासतः बेचने / व्यापार करने के लिए अपने कब्जे में रखें थे जो कि चोरी के मोबाइल सेट थे जिनको व्ययनित करने में अभियुक्त मो० अली अपने साथियों के साथ मिलकर सहायता कर रहा था । उल्लेखनीय है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्त द्वारा चोरी किये जाने सम्बंधी अन्य मुकदमा अपराध संख्या-55/2012, धारा-379, 328 IPC, मुकदमा अपराध संख्या-90/2012, धारा-379, 328 IPC, मुकदमा अपराध संख्या-19/14, धारा-379 IPC, मुकदमा अपराध संख्या-86/2013 धारा-379 IPC आदि पंजीकृत होने का अंकन किया गया है । विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के पुश्त पर अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध अन्य मुकदमा अपराध संख्या-55/2012, धारा-379, 328, 411 IPC, थाना जी०आर०पी०, बाराबंकी तथा मुकदमा अपराध संख्या-19/2014 धारा-379, 411 IPC, थाना जी०आर०पी०, बाराबंकी का आपराधिक इतिहास होने सम्बंधी अंकन किया गया है । जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्षियों द्वारा साक्ष्य में भी की गयी है । अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी०डब्लू०-2 उपनिरीक्षक राजेश कुमार तिवारी व पी०डब्लू०-4 क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी द्वारा दौरान मुख्य साक्ष्य अभियुक्तगण के कब्जे से चोरी के मोबाइल बरामद होने के सम्बंध में बयान दिया है । यह भी कहा गया है कि बरामदशुदा मोबाइलों को अभियुक्तगण द्वारा चोरी अभ्यासतः व्यापार करने व उनका व्यवहार करने के लिये प्राप्त किया गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त मो० अली द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर यह जानते हुए कि उक्त मोबाइल चुराई हुई सम्पत्ति है, उसको अपने पास रखा गया है व छिपाया गया है तथा सहअभियुक्तों के साथ बरामदशुदा चोरी के

मोबाइलों को अभ्यासतः प्राप्त किया जाता रहा है तथा उनका अभ्यासतः व्यवहार किया जाता रहा है । उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मो० अली द्वारा धारा-313 दं०प्र०सं० के तहत अभिलिखित किये गये बयान में अन्तिम प्रश्न के उत्तर में स्वयं कथित घटना के समय मौका-ए-वारदात पर मौके पर उपस्थित होना स्वीकार किया गया है । साथ ही अभियुक्त मो० अली की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर फर्द में दर्शायी गयी कथित घटना को कारित किया जाना तथा उसके कब्जे से चोरी के मोबाइल बरामद होना स्वीकार किया गया है । अभियुक्त द्वारा स्पष्ट रूप से जुर्म की संस्वीकृति की गयी है । इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर साबित होता है कि अभियुक्त मो० अली व उसके सहअभियुक्तों के पास से पुलिस पार्टी द्वारा चोरी के मोबाइल बरामद किये गये जिनको अभियुक्त द्वारा चोरी का जानते हुए अभ्यासतः प्राप्त कर उसका बार बार लेन देन किया गया और उसे अपने कब्जे में रखा गया तथा उनका अभ्यासतः व्यवहार किया जाता रहा है जिसकी पुष्टि स्वयं अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में की गयी संस्वीकृति से भी होती है । इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध विरचित आरोप अन्तर्गत धारा -414, 413 भारतीय दण्ड संहिता पूर्णतया साबित होता है ।

आरोप अन्तर्गत धारा–177 भा०दं०सं० का निस्तारण

11. जहाँ तक धारा-177 भा०दं०सं० के तहत विरचित आरोप का प्रश्न है तो इस सम्बंध में धारा 177 भा०दं०सं० का प्रावधान निम्नवत् है - "मिथ्या इत्तिला देना - जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर इत्तिला देने के लिये वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची इत्तिला के रूप में ऐसी इत्तिला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास कारने का कारण उसके पास है , वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा या दोनो से, अथवा यदि वह इत्तिला जिसे देने के लिये वह वैध रूप से आबद्ध हो, कोई अपराध किये जाने के विषय में हो, या किसी अपराध के किये जाने का निवारण करने के प्रयोजन से, या किसी अपराधी को पकड़ने के लिये अपेक्षित हो, तो वह दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनो से दण्डित किया जायेगा ।" उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में अभियुक्त पर आरोप विरचित है कि अभियुक्त मो० अली द्वारा गिरफतारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी प्रभारी निरीक्षक थाना जी०आर०पी० बाराबंकी जोकि एक लोक सेवक हैं एवं जिनको वह सही सूचना देने के लिए आबद्ध थे, को उपरोक्त बरामद मोबाइल फोन्स के बावत गलत सूचना दी गयी । पत्रावली में परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षियों एवं केस डायरी में अंकित गवाहों के बयान में अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उसने बरामदशुदा मोबाइल के सम्बंध में लोक सेवक को कोई गलत सूचना देकर भ्रमित किया हो । ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर धारा -177 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप सन्देह से परे साबित नहीं होता है ।

12. अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध विरचित आरोप धारा-414 व 413 भारतीय दण्ड संहिता को युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है, किन्तु अभियुक्त मो० अली के विरूद्ध धारा-177 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अतः अभियुक्त मो० अली धारा-414 व 413 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के तहत दोषसिद्ध किये जाने एवं धारा-177 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

13. अभियुक्त मो० अली को धारा-414, 413 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है तथा धारा-177 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त मो० अली प्रश्नगत मामले में जमानत पर है । उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं । अभियुक्त मो० अली को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाये । अभियुक्त तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आज ही दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने का अनुरोध किया गया। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनवायी हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो ।

दिनांक-01.04.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451

14. पत्रावली लंचबाद पुनः पेश हुई । दंड के प्रश्न पर उभयपक्षों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का पुनः गहनता से परिशीलन किया ।

15. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क किया गया कि अभियुक्त मो० अली एक पेशेवर अपराधी है । इसलिये अभियुक्त को अधिक से अधिक दण्ड से दण्डित किया जाय ।

16. अभियुक्त की ओर से तर्क करते हुये कहा गया कि वह मजदूर पेशा अत्यंत ही गरीब व्यक्ति है । उसके परिवारीजन का पालन पोषण करने का उनके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है । यह भी तर्क किया गया कि वह लम्बी अवधि से जिला कारागार में निरुद्ध रहा

है । इसलिये उसके द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि के दण्ड से दण्डित किया जाकर उन्हे मुक्त कर दिया जाय ।

17. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी तथा अभियुक्त मो० अली की ओर से किये गये तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दोषसिद्ध अभियुक्त की सामाजिक, आर्थिक व पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये दोषसिद्ध अभियुक्त को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित एवं तर्कसंगत पाता हूँ जिससे कि न्याय के उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके ।

<u>आदेश</u>

18. दोषसिद्ध अभियुक्त मो० अली को धारा- 414 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए दो (02) वर्ष के कारावास के दण्ड एवं मु०- 500/-(पांच सौ रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में 5 (पांच) दिवस की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।

19. दोषसिद्ध अभियुक्त मो० अली को धारा- 413 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप के लिए तीन (03) वर्ष के कारावास के दण्ड एवं मु०- 1000/-(एक हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड की धनराशि जमा न करने की स्थिति में 10 (दस) दिवस की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी ।

20. अभियुक्त की उपर्युक्त दोनो सजाएं साथ साथ चलेंगी । अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित होगी ।

21. इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क एवं अविलम्ब दोषसिद्ध अभियुक्त को प्राप्त करायी जाये तथा सजायाबी वारण्ट तद्नुसार अधीक्षक जिला कारागार बाराबंकी को भेजी जाये ।

दिनांक-01.04.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451

22. उपरोक्त निर्णय, आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक-01.04.2026

(परशुराम)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०-4, जनपद– बाराबंकी ।
J.O. Code No.UP6451